कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक SIKAR , राजस्थान

क्रमांक: दिनांक

सचिव

प्रबंध समिति

FORTUNE INTERNATIONAL SCHOOL

विषय - राजस्थान गैरसरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के नियम 5 के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता क्रमोन्नति एवं अन्य हेतु प्रमाणपत्र।

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 48921 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, FORTUNE INTERNATIONAL SCHOOL पता Bhadwasi, Near Vaishali Nagar, Nawalgarh Road, Sikar ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय BHADWASI ब्लॉक PIPRALI आसा पासा (पूर्व -पश्चिम,उत्तर दक्षिण) 365 खसरा न. 364 को शैक्षणिक सत्र 2024-25 से निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ:-

नाम परिवर्तन के लिए विवरण	
पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय का नाम	FORTUNE INTERNATIONAL SCHOOL
स्वीकृत नवीन नाम	NARAYANA E TECHNO SCHOOL

प्रबन्ध अंतरण के लिए विवरण			
पूर्व सोसाइटी का नाम	SHRI KUSHAL SINGH MEMORIAL CHARITABLE TRUST		
पूर्व सोसाइटी पंजीयन संख्या	2010003956	पूर्व सोसाइटी पंजीयन दिनांक	19/04/2010
नवीन सोसाइटी का नाम	NARAYANA EDUCATIONAL SOCIETY		
नवीन सोसाइटी पंजीयन संख्या	319	नवीन सोसाइटी पंजीयन दिनांक	15/11/1996

Signature valid

Digitally signed by Sheeshram Kulhari
Designation : District Education Officer
Date: 2024.08.31 17:13:52 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 10156652

मान्यता कोड : RJSKR34558

1. विद्यालय के नवीन मान्यता / क्रमोन्नति के आवेदनों के सम्बन्ध में भूमि रूपान्तरण सम्बन्धी कार्यवाही विद्यालय द्वारा स्वयं के स्तर पर की जावेगी। शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में संस्था संचालक की जिम्मेवारी होगी कि जिस क्षेत्र में विद्यालय स्थित है, वहां स्थानीय प्राधिकारी एजेन्सी (ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगरनिगम, नगर परिषद्, विकास प्राधिकरण, तहसीलदार कार्यालय, उपखण्ड कार्यालय, जिला कलक्टर कार्यालय आदि) से स्वयं नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही विद्यालय का संचालन करें।
2. विद्यालय, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा1 से 8 तक की शिक्षा के सम्बन्ध में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
4. राज्य सरकार/विभाग द्वारा समयसमय पर प्रसारित नियमों/आदेशों/निर्देशों का अनिवार्यत पालन करना होगा तथा वांछित सूचनाऐं/अभिलेख अविलम्ब उपलब्ध करवाने होंगे।
5. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर अथवा विभागीय निरीक्षण के समय विद्यालय के लिए निर्धारित मापदण्ड (भौतिक एवं वित्तीय) मय किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर मान्यता समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी।
6. विद्यालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं की जाएगी।
7. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के मान्यता सम्बन्धित विनियमों की पालना करनी होगी एवं मान्यता प्रप्ति के बाद विद्यालय को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से सम्बद्धता हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि में आवेदन करना होगा।
8. विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन इत्यादि विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से स्वीकृति प्राप्त कर ही किए जाऐंगे।
9. विद्यालय को दी जा रही मान्यता के अनुसार उसी सत्र में कक्षाऐं प्रारम्भ करनी होंगी, मान्यता के अनुसार उस सत्र में कक्षाऐं संचालित नहीं होने पर मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
10. माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति होने पर मान्यता के वर्ष में ही कक्षा 9 के साथ कक्षा 10/कक्षा11 के साथ कक्षा 12 उसी स्थिति में चलाई जा सकती है, जब इसकी स्वीकृति मान्यता प्रमाणपत्र में दी गई हो।
11. गैर सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत किसी भी विद्यार्थी का शारीरिक एवं मानसिक उत्पीडन नहीं किया जावेगा। ऐसा आरोप प्रमाणित होने पर सम्बन्धित गैर सरकारी विद्यालय के विरूद्ध मान्यता/क्रमोन्नति वापिस लिए जाने की कार्यवाही की जावेगी।
12. Emblems and Name (Prevention of improper use) Act 1950 के तहत विद्यालय के नाम में इंटरनेशनल, इण्डियन, नेशनल, राष्ट्रीय प्रतीक एवं ध्वज, सेना/सैनिक इत्यादि शब्दो का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, अतः विद्यालयों नाम में इनका प्रयोग नहीं किया जावे, यदि विद्यालय के नाम में उक्त का अंकन है तो संस्था/विद्यालय को नाम परिवर्तन हेतु आगामी सत्र में आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

जिला शिक्षा अधिकारी
`मुख्यालय माध्यमिक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. स्थानीय प्राधिकारी एजेन्सी (ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद्, विकास प्राधिकरण, विकास न्यास, तहसीलदार कार्यालय, उपखण्ड कार्यालय, जिला कलक्टर कार्यालय, हाउसिंग बोर्ड, आदि) को प्रतिलिपि प्रेषित कर निवेदन है कि संस्था / विद्यालय भूमि के भूरूपान्तरण के सम्बन्ध में प्रचलित विभागीय शर्तो का स्वयं के स्तर पर परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही करें।
5. रक्षित पत्रावली।

Signature valid
जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक

Digitally signed by Sheeshram Kulhari
Designation : District Education Officer
Date: 2024.08.31 17:13:52 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, सीकर

क्रमांकः–जिशिअ/मा/सी./मान्यता/2020–21/ 433 दिनांकः– 15-01-2021

सचिव,
प्रबंध समिति,
फॉर्च्यून इंटरनेशनल स्कूल, सीकर।

विषय :फॉर्च्यून इंटरनेशनल स्कूल, सीकर (P48300) आवेदन क्रमांकः 37017 की मान्यता क्रमोन्नति के संबंध में।

प्रसंग : श्रीमान् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के आदेश कमांक शिविरा–मा/पीएसपी–सी/अ–2 /60566/2020–21 दिनांक 12.01.2021

प्रासंगिक विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा सत्र 2020–21 में गैर सरकारी शिक्षण संस्थान फॉर्च्यून इंटरनेशनल स्कूल, वैशाली नगर भादवासी, सीकर आवेदन करने एवं शासन (ग्रुप–1) के पत्र दिनांक 15.01.2020 के अनुसार राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के नियम 05 के उपनियम (8) के तहत विद्यालय को शैक्षणिक सत्र 2020–21 से निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राज. बीकानेर से अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ।

क्रमोन्नति	
पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय की श्रेणी :–	सैकण्डरी कक्षा 01 से 10
स्वीकृत संकाय एवं विषय का विवरण	
विज्ञान संकाय	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित

1. राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवम (मान्यता, सहायता अनुदान सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के उपबन्धो की पालना करनी होगी।
2. कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के मामले में राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 की पालना अनिवार्य है। अन्यथा राजस्थान गैर सरकारी संस्था अधिनियम 1989 व 1993 के अधीन दी गई मान्यता समाप्त की जा सकेगी।
3. राज्य सरकार/विभाग द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशो/ नियमों/निर्देशो की पालना करनी होगी एवं वांछित सूचनाये/अभिलेख उपलब्ध करवाने होगे।
4. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर अथवा विभागीय निरीक्षण के समय विद्यालय के निर्धारित मापदण्ड (भौतिक एवं वित्तीय) मय किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर मान्यता समाप्त की कार्यवाही की जायेगी।
5. विधालय द्वारा भविष्य मे कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं की जायेगी।
6. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर मान्यता (सम्बद्धता) संबंधित विनियमों की पालना करनी होगी एवं मान्यता प्राप्ति के बाद विद्यालय को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से सम्बद्धता हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि में आवेदन करना होगा।
7. विधालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन के पूर्व विभागीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
8. राजस्थान विद्यालय फीस का विविनियमन अधिनियम–2016 नियम 2017, मोबाईल टावर, हाईटेंशन लाईन, अगिनश्मन, बाल वाहिनी इत्यादी मूल मान्यता की शर्तो की अक्षरशः पालना की जायेगी।
9. विद्यालय को दी जा रही मान्यता के अनुसार उसी सत्र में कक्षाऐं प्रारम्भ करनी होंगी , मान्यता के अनुसार उस सत्र में कक्षाऐं संचालित नहीं होने पर मान्यता सवतः ही समाप्त हो जाएगी। कक्षा 11 के साथ कक्षा 12 संचालित करने की स्वीकृति इस सत्र में नहीं होगी

15.1.2021
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक, सीकर

क्रमांकः–जिशिअ/मा/सी/मान्यता/2020–21/433 दिनांकः– 15-01-2021

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ।
2. श्रीमान उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर।
4. श्रीमान संयुक्त निदेश (स्कूल शिक्षा)चूरू संभाग, चूरू।
5. रक्षित पत्रावली।

15.1.2021
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक, सीकर